[illegible] पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

प्रार्थिया

बनाम

1 कृष्णलाल पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार [illegible] तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए रास्ता स्वीकृति बाबत

-:: आक्षेपित अभिभाषकगण ::-

1. श्री अजय सिंह चौहान — प्रार्थी
2. श्री अश्वनी कुमार मिश्रा — अप्रार्थी नं. 1
3. जरिये सरकार तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 2

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 24/11/2016

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क आरटीए रास्ता स्वीकृति बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि यह कि प्रार्थीया व अप्रार्थी नं. 1 का प्रमाणित व पंजीकृत पता सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार सही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में निवेदित किया गया है। यह कि प्रार्थीया के नाम की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एन.एस. डब्ल्यू—बी के खाता सं. 9/5 के प.न. 44/339 (19) के किला नं. 4/1/0.228, 4/2/.025, 5/1/.202, 5/2/.051, 6/1/.228, 6/2/.025, 7, 13/1/.126, 14, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 17, 18, 23, 24, 25/1/.227, 25/2/.026 की कुल 3.182 हैक. कमाण्ड मद गैर मु. खाता खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, नकल जमाबंदी वास्ते संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी स. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एन. एस. डब्ल्यू—बी के खाता स. 7/3 के प.न. 44/339 (19) के किला न. 1/2/.1251, 1/3/201, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, 8, 9, 10/2/.227, 11/2/.228, 12, 13/2/.127, 19, 20/2/.228, 21/2/.228, 22 की कुल 3.036 हैक. कमाण्ड अनकमाण्ड मद गैर मु. खाता कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी स. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एंव चक 4 एन.एस.डब्ल्यू—बी के खाता स. 7/3 के प.न. 44/339 (19) के किला न 21/2/.228, 22 प्रत्येक बीघा मे से दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर 2—2 बिस्वा रास्ता आवागमन हेतु उपयोग व उपभोग कर रही हूं, एंव प्रार्थीया की कृषि भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीया इसी रास्ते का उपयोग अपनी कृषि भूमि में आने जाने के साथ साथ कृषि भूमि में कृषि यंत्र लाने ले जाने भूमि की बीजाई व कटाई हेतु कृषि यंत्र लाने ले जाने व कृषि जिन्स को इक्कठा करने के लिये इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करती आ रही है। इस कारण मिन प्रार्थीया, अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित चक 4 एन. एस. डब्ल्यू—बी के खाता स. 7/3 के प.न. 44/339 (19) के किला न 21/2/.228, 22 प्रत्येक बीघा के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर 2 — 2 बिस्वा रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड

3

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

करवाना चाहती हैं तथा इसी अनुसार उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहती हैं।

यह कि मिन प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसलिये प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णितानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहती है। अप्रार्थी सं. 1 को उक्त रास्ता स्वीकृत होने से हुये कृषि भूमि के नुकसान के बदले प्रार्थीया रास्ते में स्वीकृत जितनी कृषि भूमि व मुताबिक डी.एल.सी शुल्क का भुगतान करने हेतु तैयार है, राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ता दर्ज रिकार्ड न होने कि स्थिति में अप्रार्थी सं. 1 उक्त रास्ता के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में मिन प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि में पहुंचने का रास्ता बंद हो जाएगा, तथा प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने व कृषि यन्त्र ले जाने, कृषि जिन्स को बाजार में लाने की सुविधा को ध्यान में रखकर अप्रार्थी स. 1 के नाम प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णितानुसार रास्ता स्वीकृत किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि चक 4 एन.एस.डब्ल्यू–बी के खाता स. 7/3 के प.न. 44/339 (19) के किला न 21/2/228, 22 प्रत्येक बीघा के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर 2 – 2 बिस्वा रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड करवाये जाने के आदेश फरमाये जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया।

प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 स्वयम् हाजिर होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा निम्न प्रकार से है :– यह कि हम मिकरान शपथ पूर्वक ब्यान करते है कि मिकर प्रथम पक्ष द्वारा अपनी कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एन.एस.डब्ल्यू–बी के खाता स. 9/5 के प. न. 44/339 (19) के किला न. 4/1/0.228, 4/2/.025, 5/1/.202, 5/2/.051, 6/1/.228, 6/2/.025, 7, 13/1/.126, 14, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 17, 18, 23, 24, 25/1/.227, 25/2/.026 की कुल 3.162 हैक. कमाण्ड मय गैर मु. खाला खातेदारी में आने जाने हेतू मिकर द्वितीय पक्ष की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एन.एस.डब्ल्यू–बी के खाता स. 7/3 के प.न. 44/339 (19) के किला न. 1/2/0.260, 1/3/.201, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, 8, 9, 10/2/.227, 11/2/.228, 12, 13/2/.127, 19, 20/2/.228, 21/2/.228, 22 बीम 3.036 हैक. कमाण्ड अनकमाण्ड मय गैर मु. खाला मे से प.न. 44/339 (19) के किला न 21/2/.228, 22 प्रत्येक बीघा मे से दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर 2–2 बिस्वा रास्ता की मांग की थी, जिसे अप्रार्थी स. 1/मिकर द्वितीय पक्ष ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बदले में प्रार्थिया/मिकरा प्रथम पक्ष द्वारा अप्रार्थी स.1/मिकर द्वितीय पक्ष को मुताबिक डी.एल.सी की दोगुना राशि 50500/– जरिये चैक न. 000065 बैंक एच.डी.एफ.सी बैंक पीलीबंगा का रोबरू गवाहन सौंप दिया है, किसी प्रकार का कोई ऐतराज नही है, तथा दोनो पक्षकार पूर्ण सहमती प्रकट करते है, तथा मुताबिक प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

यह कि शपथ पत्र/राजीनामा की मद स. 1 में वर्णित तमाम कथन सही व सत्य अंकित किये है कोई तथ्य घटाया वढाया व छुपाया नही है। ईश्वर हमारी मदद करे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नानुसार है– प्रार्थीया द्वारा चाहा जा रहा रास्ता मौके पर चालू नही है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड भूमिधारकों को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के अलावा चक 18 एसपीडी की आबादी भूमि को कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

आदेश

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया तहसीलदार रिपोर्ट एवं उभय पक्ष के मध्य राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251–क के तहत निम्नानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है–

चक 4 एनएसडब्ल्यू–बी के प.न. 44/339 (19) के किला न 21/2/.228, 22 प्रत्येक बीघा मे से दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता के बदले प्रार्थी व अप्रार्थीगण गण द्वारा राजीनामा अनुसार डी.एल.सी की दोगुना राशि अप्रार्थी को प्रतिकर के रूप में सौंप दी गई है।

तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि अन्य न्यायलय का वाद/स्थगन नहीं होने की दशा में जांच कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 20/4/16 सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर
पीलीबंगा